

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठारहीन अधिकारी :- जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 111/2021 राजस्व वाद

01. रामेश्वर लाल पुत्र रतन लाल, जाति महाजन, आयु वयस्क निवासी-करेड़ा, तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0) — वादीगण

बनाम

01. इन्द्रा पुत्री नानालाल जाति महाजन आयु वयस्क निवासी-करेड़ा, तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
02. जयप्रकाश पुत्र नानालाल जाति महाजन आयु वयस्क निवासी-करेड़ा, तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
03. मधु पुत्री नानालाल जाति महाजन आयु वयस्क निवासी-करेड़ा, तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
04. मागवाई पत्नी नानालाल जाति महाजन आयु वयस्क निवासी-करेड़ा, तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
05. लीला पुत्री नानालाल जाति महाजन आयु वयस्क निवासी-करेड़ा, तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
06. गोपाल पुत्र नानालाल जाति महाजन आयु वयस्क निवासी-करेड़ा, तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
07. सत्यनारायण पुत्र नानालाल जाति महाजन आयु वयस्क निवासी-करेड़ा, तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
08. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0).

— प्रतिवादीगण

**वादपत्र अन्तर्गत धारा- 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत विभाजन आराजियात**

उपस्थित :-

1. श्री मुकेश सिंह तंवर
2. एकपक्षीय-
3. परोकार सरकार

—अधिवक्ता वादीगण

— प्र.सं. 01 लगायत 07

—प्रति.सं. 08

दिनांक- 01/08/2025

:: निर्णय ::

वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 के नाम शामलाती खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। शामलाती होने से मौके पर हक हिस्से की भूमि को विकसित करने में, फसल, लगान आदि जमा कराने एवं ऋण लेने में विवाद रहने से कब्जे अनुसार विभाजन करने हेतु वादपत्र प्रस्तुत कर विधिवत विभाजन की इस्तदुआ की।

वादीगण का वादपत्र प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध कर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस तलबी हेतु जरिये रजिस्टर्ड एडी जारी किए गए। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 के बाद तामिल उपस्थित नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजातात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए तहसीलदार करेड़ा की मौका रिपोर्ट अनुसार वादपत्र को डिक्री करने का निवेदन किया गया।

मैने वादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया, तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। अतएव:

आदेश

सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता संख्या 1884 के आराजी नम्बर- 3711, 3712, 3713 कुल किता 03 कुल रकबा 0.6702 हैक्टर भूमि मे वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार पक्षकारो के मध्य रिकॉर्ड मे अमल दरामद व नक्शे मे तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है :-

(1)खातेदार का नाम-रामेश्वर लाल पुत्र रतनलाल जाति महाजन सा0 करेड़ा खातेदार के नाम पर

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टर मे)
01.	3712/2	0.1454 हैक्टर
02.	3713	0.1897 हैक्टर
योग	किता 02	0.3351 हैक्टर

खाता संख्या (नया) 1884 म निम्न आराजायात न पया रपगड ०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर करेड़ा

(2)खातेदार का नाम— इन्द्रा पुत्री नानालाल हिस्सा 1/7, जयप्रकाश पुत्र नानालाल हिस्सा 1/7, मधु पुत्री नानालाल हिस्सा 1/7, मांगवाई पत्नी नानालाल हिस्सा 1/7, लीला पुत्री नानालाल हिस्सा 1/7, गोपाल पुत्र नानालाल हिस्सा 1/7, सत्यनारायण पुत्र नानालाल हिस्सा 1/7, सर्व जाति महाजन, सर्व निवासी करेड़ा, सह खातेदार के नाम पर

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टर में)
01.	3711	0.2023 हैक्टर
02.	3712/1	0.1328 हैक्टर
योग	किता 02	0.3351 हैक्टर

उपरोक्त आराजी पर जाने हेतु रास्ता आराजी नम्बर 3905 सरकारी रास्ता दर्ज रेकॉर्ड हैं।

उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरुस्ती कर राजस्व रेकार्ड मे अलग खाता कायम कर नाम प्रतिस्थापित किया जावे। तहसीलदार करेड़ा को तहरीर जारी कर आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेगे।

यह निर्णय आज दिनांक 01.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी पदन
आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर करेड़ा
उपखण्ड अधिकारी एवं पदन सहायक कलेक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

- मूल वाद में डिक्री -

पीतारसीन अधिकारी :- जोगेन्द्र सिंह (आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

मुकदमा नम्बर 111/2021 राजस्व वाद

01 रामेश्वर लाल पुत्र रतन लाल, जाति महाजन, आयु वयस्क निवासी-करेड़ा, तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा(राज0) — वादीगण

बनाम

01. इन्द्रा पुत्री नानालाल जाति महाजन आयु वयस्क निवासी-करेड़ा, तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
02. जयप्रकाश पुत्र नानालाल जाति महाजन आयु वयस्क निवासी-करेड़ा, तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
03. मधु पुत्री नानालाल जाति महाजन आयु वयस्क निवासी-करेड़ा, तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
04. मांगबाई पत्नी नानालाल जाति महाजन आयु वयस्क निवासी-करेड़ा, तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
05. लीला पुत्री नानालाल जाति महाजन आयु वयस्क निवासी-करेड़ा, तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
06. गोपाल पुत्र नानालाल जाति महाजन आयु वयस्क निवासी-करेड़ा, तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
07. सत्यनारायण पुत्र नानालाल जाति महाजन आयु वयस्क निवासी-करेड़ा, तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)।
08. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0), — प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा- 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत विभाजन आराजियात

वादीगण की ओर से श्री मुकेश सिंह तंवर, एडवोकेट और प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 अनुपस्थित की उपस्थिति में इस वाद के आज दिनांक 01.08.2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि वादी और इस मद के खर्चे लेखों प्रतिशत रूपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि शून्य को दी जायें।

सरहद करेड़ा पटवार हल्का करेड़ा प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) के खाता संख्या 1884 के आराजी नम्बर- 3711, 3712, 3713 कुल किता 03 कुल रकबा 0.6702 हैक्टर भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार पक्षकारों के मध्य रिकॉर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

(1) खातेदार का नाम-रामेश्वर लाल पुत्र रतनलाल जाति महाजन सा0 करेड़ा खातेदार के नाम पर

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टर में)
01.	3712/2	0.1454 हैक्टर
02.	3713	0.1897 हैक्टर
योग	किता 02	0.3351 हैक्टर

(2) खातेदार का नाम-इन्द्रा पुत्री नानालाल हिस्सा 1/7, जयप्रकाश पुत्र नानालाल हिस्सा 1/7, मधु पुत्री नानालाल हिस्सा 1/7, मांगबाई पत्नी नानालाल हिस्सा 1/7, लीला पुत्री नानालाल हिस्सा 1/7, गोपाल पुत्र नानालाल हिस्सा 1/7, सत्यनारायण पुत्र नानालाल हिस्सा 1/7, सर्व जाति महाजन, सर्व निवासी करेड़ा, सह खातेदार के नाम पर

उपखण्ड अधिकारी पद
सहायक कलेक्टर करेड़ा

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हेक्टर मे)
01.	3711	0.2023 हेक्टर
02.	3712/1	0.1328 हेक्टर
योग	किता 02	0.3351 हेक्टर

उपरोक्त आराजी पर जाने हेतु रास्ता आराजी नम्बर 3905 सरकारी रास्ता दर्ज रेकॉर्ड हैं।

(जोगेन्द्र सिंह)

उपखण्ड अधिकारी एवं पट्टेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

यह डिकी आज दिनांक 01.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पट्टेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)